UPKS010039052025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कौशाम्बी।

उपस्थित : जे0पी0यादव (एच.जे.एस.)–UP 6551

दाण्डिक निगरानी सं0–166/2025

सूफिया बेगम उम्र लगभग 59 वर्ष पत्नी एजाज अहमद निवासिनी ग्राम नया खोपा, थाना सरांय अकिल, जनपद कौशाम्बी। .....निगरानीकर्ती।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य।
2. आर्जुमन जहॉ उम्र लगभग 31 वर्ष पुत्री अबरार हुसैन
3. अबरार हुसैन उम्र लगभग 63 वर्ष पुत्र अज्ञात
4. शकील उम्र लगभग 41 वर्ष पुत्र अबरार हुसैन
5. एहसान उम्र लगभग 36 वर्ष अबरार हुसैन

निवासीगण ग्राम कटैया, थाना सरांय अकिल, जनपद कौशाम्बी।

.....विपक्षीगण।

निगरानी अन्तर्गत धारा–438/440 बी.एन.एस.एस.
थाना–सरांय अकिल, जनपद–कौशाम्बी।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी परिवाद सं0–578/2024 सूफियान बेगम बनाम आर्जुमन जहॉ आदि, थाना सरांय अकिल, जनपद कौशाम्बी के मामलें में विद्वान् सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 27.06.2025 से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ती द्वारा दायर की गयी है।

2. उक्त आलोच्य आदेश जिन परिस्थितियों में पारित किया गया उसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिनी सूफिया बेगम द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 दिनांक 14.10.2024 को विद्वान् अवर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे विद्वान् अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 05.11.2024 को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया और मामला परिवाद सं0–578/2024 सूफिया बेगम बनाम आर्जुमन जहां आदि के रूप में दर्ज किया। उक्त परिवाद पत्र के आलोक में विद्वान् अवर न्यायालय द्वारा परिवादिनी का बयान अंतर्गत धारा–223 बी.एन.एस.एस. तथा गवाहान पी0डब्लू0–1 के रूप में साजिया बानो एवं पी0डब्लू0–2 के रूप में गौसिया बानो का बयान अंतर्गत धारा–225 बी.एन.एस.एस. विद्वान् अवर न्यायालय के समक्ष अंकित किया गया। दिनांक 27.06.2025 को विद्वान् सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध परिवादिनी के बयान अंतर्गत धारा–223 बी.एन.एस.एस. एवं गवाहों के बयान अतर्गत धारा–225 बी.एन.एस.एस. तथा अन्य अभिलेखीय साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन करने के उपरान्त परिवाद अन्तर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत खारिज किया गया। इस प्रकार उक्त तिथि को प्रश्नगत आदेश

विद्वान सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी द्वारा पारित किया गया।

3. मैंने निगरानीकर्ती के विद्वान अधिवक्ता, विपक्षी सं0–1 राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी तथा विपक्षी सं0–2 लगायत 5 के विद्वान् अधिवक्ता के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

4. निगरानीकर्ती के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क किया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत् आदेश पूर्णरूप से असंवैधानिक, अतार्किक एवं विधि विरूद्ध है। प्रश्नगत् आदेश पूर्णतया पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है तथा विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने के कारण अपोषणीय है। उसका पुत्र वकार अहमद की शादी दिनांक 24.05.2022 को आर्जुमन जहॉ के साथ हुई थी। विपक्षी शादी के बाद विदा होकर आई और शादी के 02 माह बाद मायके वापस चली गयी। उसका लड़का रोजी रोटी के सिलसिले में सऊदी अरब में रहता है, अपनी पत्नी के मायके चले जाने के बाद उसका लड़का भी सऊदी अरब चला गया। एक माह बाद उसके पति व छोटा लड़का शहबाज विपक्षी आर्जुमन जहां को बुलाने उसके मायके गये परन्तु विपक्षी व उसके माता पिता भेजने से मना कर दिये और कहे कि जब तुम्हारा लड़का सऊदी अरब से आएगा तब हम भेजेगें परन्तु विपक्षिणी बीच में अपने फुफेरा भाई के साथ अपने ससुराल आयी, एक सप्ताह तक ठीक ठाक से रही, उसके बाद उससे व उसके घरवालों से लड़ाई झगड़ा करती थी और बात बात पर लड़ती रही और घर का कोई भी काम नहीं करती थी। विपक्षी स्वच्छन्द किस्म की महिला है और वह जब चाहती अपने मन से ससुराल से मायके व मायके से ससुराल आती जाती थी। उसके पति उसे मनमाने तरीके से आने जाने से रोकते थे तो विपक्षिणी लड़ाई झगड़ा पर अमादा हो जाती थी। विपक्षी लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व से अपने मायके में जाकर रह रही है। दिनांक 27.07.2024 को वह दवा लेने प्रयागराज गयी थी। उसके घर पर पुत्री गौसिया अकेली थी, उसी दिन दोपहर एक बजे विपक्षिणी आर्जुमन जहां अपने पिता अबरार हुसैन, भाई शकील व एहसान तथा दो और व्यक्तियों को लेकर आयी और दरवाजा खोलवाकर अपने पिता व भाई के साथ अन्दर घुस गयी और घर में रखा जेवर तथा साढ़े तीन लाख रूपये लेकर घर से जाने लगी तो उसकी पुत्री गौसिया ने सामान ले जाने से मना किया और कहा कि माता पिता घर पर नहीं है, उनको आ जाने दो तब जाना और उसका बैग पकड़कर खींचने लगी। इतने में आर्जुमन व उसके दोनो भाई गौसिया को गाली गलौज करने लगे और आर्जुमन ने उसकी पुत्री को बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया और दोनों भाई लात घूसों से मारे पीटे और धमकी दिये कि मेरी बहन जो सामान ले जा रही है, उसके बारे में माता पिता से मत बताना नहीं दुबारा आयेगे तो तुम्हे जान से मार देगे और आर्जुमन ने धमकी दिया कि यदि तुम्हारे माता पिता या परिवार का कोई व्यक्ति कहीं शिकायत करेगे तो तुम्हारे पूरे परिवार को फर्जी दहेज के मुकदमें में फंसा देगे। वह जब दवा लेकर घर आयी तो उसकी पुत्री गौसिया ने सारी घटना बताई तब उसने थाने पर सूचना दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत् आदेश पारित करते समय जिन तथ्यों का आधार बनाया है,

उक्त तथ्य दं0प्र0सं0 के प्राविधानों को असंवैधानिक ढंग से प्रमाणित करती है और उन्हे अच्छे कानून से परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अतः निगरानी स्वीकार करते हुये विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत् आदेश को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. विपक्षी सं0–1 राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क दिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश मामले के तथ्यों को देखते हुये विधिक दृष्टि से सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रश्नगत आदेश की पुष्टि की जानी चाहिये और पुनरीक्षण खारिज किया जाना चाहिये।

6. विपक्षी सं0–2 लगायत 5 के विद्वान् अधिवक्ता ने दौरान बहस यह तर्क दिया है कि अवर न्यायालय ने तार्किक एवं विधिपूर्ण रूप से प्रश्नगत् आदेश पारित किया है तथा परिवाद निरस्त कर दिया है, जो कि न्यायपूर्ण है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश मामले के तथ्यों को देखते हुये विधिक दृष्टि से सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः विद्वान् अवर न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुये पुनरीक्षण खारिज की जानी चाहिए।

7. अब यदि प्रश्नगत् आदेश का विश्लेषण निगरानी याचिका में वर्णित आधारों, निगरानी पर हुयी बहस एवं विधि के आलोक में करें तो प्रश्नगत् आदेश पारित करते हुये विद्वान अवर न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में यह वर्णित किया है कि परिवादिनी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–223 बी.एन.एस.एस. में यह कथन किया है कि विपक्षी आर्जुमनजहां दिनांक 27.04.2024 को उनके घर आयी और जबरदस्ती अपना सामान उठाकर चली गयी परन्तु उक्त घटना परिवादिनी ने अपनी आंखो से नहीं देखी थी, उनके बेटो ने उन्हे बतायी थी। घटना के समर्थन में परिवादिनी द्वारा साक्षी पी.डब्लू.–1 व 2 का बयान अंकित कराया गया है। पी.डब्लू.–1 साजिया बानो व पी.डब्लू.–2 गौसिया बानो ने जोकि परिवादिनी की भी पुत्रियां है। पी.डब्लू.–1 साजिया बानो ने कथन किया है कि दिनांक 27.04.2024 को वह घर पर अकेली थी तब आर्जुमनजहां अपने पिता व भाईयो के साथ घर पर आयी तथा घर से जेवर व पचास हजार रूपये लेकर जबरदस्ती जाने लगे। पी.डब्लू.–2 द्वारा उन्हे रोके जाने पर पी.डब्लू.–2 को आर्जुमन द्वारा मारापीटा गया जबकि धारा–223 बी.एन.एस.एस. के बयान में परिवादिनी ने कथन किया है कि उनकी बेटी को आर्जुमन के भाईयो ने मारापीटा था। थाने से प्राप्त आख्या में यह अंकित है कि विपक्षी द्वारा आवेदिका से पूर्व ही दहेज प्रताड़ना, मारपीट, गाली गुप्ता व धमकी के सम्बन्ध में धारा–104 बी.एन.एस.एस. का प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है जिसके उपरान्त ही परिवादिनी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। परिवादिनी व साक्षियों के बयान के अवलोकन से विदित है कि दोनों बयानों में घोर विरोधाभाष है तथा परिवादिनी द्वारा स्वयं पर लगे आरोपों से बचने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि संधार्य योग्य नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में विपक्षीगण को तलब किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तद्नुसार प्रस्तुत परिवाद अंतर्गत धारा 203 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत खारिज किया गया है।

8. निश्चित रूप से अवर न्यायालय द्वारा दिया गया उपरोक्त निष्कर्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–203 में निहित विधिक प्रावधानों को देखते हुए विधिक दृष्टि से सही प्रतीत होता है। क्योंकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–203 में प्रयुक्त शब्दावली पर्याप्त आधार (Sufficient ground) से तात्पर्य यह है कि–

The Words " Sufficient ground " have been construed to mean the satisfaction that prima facie case is made out against the person accused by the evidence of witnesses entitled to reasonable degree of credit and not Sufficient ground of conviction. The purpose of the section is to ascertain whether there is evidence in support of the complaint so as to justify the issue of process. (S.W. Palanitkar Vs. State of Bihar, A.I.R. 2001 SC 2960). ऐसा ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Bhushan Kumar Vs. State NCT of Delhi, AIR 2012 SC 1747 एवं Nupur Talwar Vs. CBI, AIR 2012 SC 1921 के मामलों में भी अवधारित किया गया है। इसी प्रकार यदि अवर न्यायालय द्वारा साक्षियों की विश्वसनीयता के बारे में निष्कर्ष देते हुए यदि परिवाद निरस्त किया जाता है तो ऐसा आदेश विधिक दृष्टि से स्थिर रहने योग्य नहीं है। क्योंकि इस स्तर पर साक्ष्यों के Meticulous (सूक्ष्म) निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है और आरोपों की सत्यता के बाबत भी निष्कर्ष दिया जाना आवश्यक नहीं है। ऐसा महेन्द्र सा बनाम स्टेट आफ झारखण्ड, 2003(1) जे.एल.जे.आर. 427 (झारखण्ड) एवं Gambhirsinh R. Dekare Vs. Fhalgunbhai Chimanbhai Patel. AIR 2013 SC 1590 के मामलों में अवधारित किया गया है। ज्ञातव्य है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–203 के स्थान पर धारा–226 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में समाहित किया गया है और उसमें भी (**Sufficient ground**) शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अतः उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में पारित विधिक सिद्धान्तों को धारा–226 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सन्दर्भ में भी लागू किया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विधिक सिद्धान्तों के आलोक में यदि प्रश्नगत् आदेश को देखें तो प्रश्नगत् आदेश विधि एंव तथ्यों की दृष्टि से सही नहीं है। क्योकि विद्वान अवर न्यायालय के प्रश्नगत आदेश दिनांकित 27.06.2025 में यह निष्कर्ष दिया है कि थाने से प्राप्त आख्या में यह अंकित है कि विपक्षी द्वारा आवेदिका से पूर्व ही दहेज प्रताड़ना, मारपीट, गाली गुप्ता व धमकी के सम्बन्ध में धारा–104बी.एन.एस.एस. का प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है जिसके उपरान्त ही परिवादिनी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। परिवादिनी व साक्षियों के बयान के अवलोकन से विदित है कि दोनों बयानों में घोर विरोधाभाष है तथा परिवादिनी द्वारा स्वयं पर लगे आरोपों से बचने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि संधार्य योग्य नहीं है, इस आधार पर परिवाद को धारा–203 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत खारिज किया गया है।

जो कि निश्चय ही उपरोक्त समस्त विधि व्यवस्थाओं को देखते हुये विधिक दृष्टि से सही नहीं प्रतीत होता है। क्योंकि निगरानीकर्ती सूफिया बेगम द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस./परिवाद में विपक्षीगण द्वारा निगरानीकर्ती के घर में रखा जेवरात तथा नगद तीन लाख पचास हजार रूपये लेकर जाना तथा निगरानीकर्ती की पुत्री गौसिया द्वारा मना किये जाने पर गौसिया के साथ गाली गलौज करना, बाल पकड़कर जमीन पर पटक देना और लात घूसो से मारने पीटने का आरोप लगाया गया है। परिवाद कथानक के समर्थन में आवेदिका द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. में भी यह कथन किया गया है कि आर्जुमन मेरी सगी बहू है। मेरे 6 बच्चे है। 3 लड़का और 3 लड़की। 2 लड़को की शादी हो गयी है और 2 लड़कियों की भी शादी हो चुकी है। मेरे साथ घर में 1 बेटा और 1 बेटी तथा मेरे पति रहतते है। मेरे पति घर में आटा चक्की की दुकान चलाते है। आर्जुमन ने मेरे खिलाफ मुकदमा दाखिल किया है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है। आर्जुमन अभी अपने मायके में रह रही है। आर्जुमन का पति अभी बाहर है। मेरी बेटी अभी 17–18 वर्ष की है। दिनांक 27.04.2024 को आर्जुमन मेरे घर आयी और जबरदस्ती सारा सामान उठाकर चली गयी। मैने अपनी आंखो से यह घटना नहीं देखी। मेरी बेटी ने मुझे यह बात बतायी। मेरी बेटी को आर्जुमन के भाईयों ने मारा पीटा। मेरी बेटी को चोट नहीं लगी थी। बेटी का डाक्टरी मुआयना नहीं कराया था। मेरी बेटी का सारा जेबर 3 लाख 50 हजार रूपये और अपना सारा जेवर आर्जुमन उठाकर लेकर चली गयी। आर्जुमन के भाईयो ने जान से मारने की धमकी दिया था। जिसका समर्थन उसके द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण पी0डब्लू0–1 साजिया बानो व पी0डब्लू0–2 गौसिया बानो ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 225 बी.एन.एस.एस. में किया है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस./परिवाद में किये गये कथनों तथा परिवादिनी एवं साक्षियों के बयानों का सम्यक् ढंग से अवलोकन नहीं किया है और उपरोक्त उदघृत विभिन्न विधि व्यवस्थाओं को देखते हुए प्रश्नगत् आदेश सही नहीं है।

9. अतः उपरोक्त विश्लेषण के उपरान्त यह न्यायालय इस निश्चित मत पर पहुंचता है कि विद्वान अवर न्यायालय ने प्रश्नगत् आदेश पारित करते समय विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित किया है। इसलिए प्रश्नगत् आदेश यथावत् रहने योग्य नहीं है और प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

तद्नुसार प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी स्वीकार की जाती है और प्रश्नगत् आदेश दिनांकित 27.06.2025 को खण्डित किया जाता है और विद्वान अवर न्यायालय को निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैंः–

1. विद्वान अवर न्यायालय तलबी के बिन्दु पर निगरानीकर्ती/परिवादिनी को इस निर्णय में दिये गये सम्प्रेषण के आलोक में पुनः सुनकर विधि सम्मत् आदेश पारित करें।

2. पत्रावली अविलम्ब अवर न्यायालय प्रेषित की जाए और निगरानीकर्ती/परिवादिनी अग्रिम कार्यवाही हेतु अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.06.2026 को उपस्थित हो।

दिनांक : 08.06.2026

(जे0पी0यादव)
सत्र न्यायाधीश,
कौशाम्बी।
ID No. UP 6551

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक : 08.06.2026

(जे0पी0यादव)
सत्र न्यायाधीश,
कौशाम्बी।
ID No. UP 6551

Digitally signed by JAI PRAKASH YADAV
Date: 2026.06.09 15:52:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court